



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102024-258307  
CG-DL-E-29102024-258307

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4336]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 29, 2024/ कार्तिक 7, 1946

No. 4336]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 29, 2024/KARTIKA 7, 1946

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्टूबर, 2024

सं. 39/2024-25

विषय: दिनांक 01.10.2024 से सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची में परिवर्तन के परिणामस्वरूप आरओडीटीईपी अनुसूची का संरेखण।

**का.आ. 4712(अ).**—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा परिशिष्ट 4द और परिशिष्ट 4दड में 01.10.2024 में निम्नलिखित परिवर्धन/संशोधन करती है:

- 8 अंक स्तर पर 39 प्रशुल्क लाइनों को आरओडीटीईपी अनुसूची में जोड़ा गया है।
- 8 अंक स्तर पर 13 प्रशुल्क लाइनों को आरओडीटीईपी अनुसूची से हटा दिया गया है।
- 8 अंक स्तर पर 02 प्रशुल्क लाइनों के 'विवरण' में परिवर्तन किया गया है।

2. उपर्युक्त पैरा में एचएस कोड के विवरण के साथ आरओडीटीईपी दरें/मूल्य अधिकतम सीमा डीजीएफटी पोर्टल—[www.dgft.gov.in](http://www.dgft.gov.in) पर 'विनियमन>आरओडीटीईपी' लिंक के अंतर्गत उपलब्ध है।

**इस अधिसूचना का प्रभाव:**

वित्त विधेयक, 2024 के माध्यम से सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के तहत किए गए संशोधनों के परिणामस्वरूप, आरओडीटीईपी अनुसूची (परिशिष्ट 4द और परिशिष्ट 4दड) में कुछ परिवर्तन 01.10.2024 से किए जा रहे हैं ताकि इसे सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम की पहली अनुसूची के साथ संरेखित किया जा सके। इन वस्तुओं के लिए आरओडीटीईपी दरें 1.10.2024 से 09.10.2024 तक और 10.10.2024 के बाद ऊपर दिए गए लिंक पर तालिकाओं में दर्शाई गई हैं।

(फा. सं. 01/61/180/155/एएम21/पीसी-3/भाग-3)

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th October, 2024

**No: 39/2024-25****Subject: Alignment of RoDTEP Schedule consequent to changes in the First Schedule of Customs Tariff Act w.e.f. 01.10.2024.**

**S.O. 4712(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby makes the following additions/amendments in Appendix 4R and Appendix 4RE w.e.f. 01.10.2024:

- i. 39 tariff lines at 8 Digit level are added in the RoDTEP Schedule.
- ii. 13 tariff lines at 8 Digit level are deleted from the RoDTEP Schedule.
- iii. 'Description' of 02 tariff lines at 8 Digit level have been changed.

2. The details of HS Codes as in Para above along with RoDTEP rates/value caps are available at the DGFT portal-[www.dgft.gov.in](http://www.dgft.gov.in) under the link 'Regulations>RoDTEP'.

**Effect of this Notification:**

Consequent to the amendments made under the Customs tariff Act, 1975 through Finance Bill, 2024, certain changes in RoDTEP Schedule (Appendix 4R and Appendix 4RE) are being made w.e.f. 01.10.2024 to align it with First Schedule of the Customs Tariff Act. The RoDTEP rates for these items w.e.f 1.10.2024 to 09.10.2024, and 10.10.2024 onwards are indicated in the tables at the link provided above.

[F. No.: 01/61/180/155/AM21/PC-3/PART-3]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade, Ex-officio Addl. Secy.